सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 13/2015

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ
(सायल)

बनाम

श्री कल्लू उर्फ मुबारिक उम्र 28 वर्ष पुत्र मल्लूभाई रंगरेज मुसलमान निवासी किशनगंज जिला बारॉ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)
2– असलम भारती अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 15.05.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री कल्लू उर्फ मुबारिक पुत्र मल्लूभाई जाति रंगरेज मुसलमान निवासी किशनगंज जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना किशनगंज क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा एवं गौ तस्करी की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना किशनगंज में वर्ष 2006 से 2015 के मध्य कुल 4 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एवं गोवंश अधिनियम 1995 एक्ट के तहत हुये दर्ज है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है, जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	128/06	13 आर.पी.जी.ओ.	108/19.10.06	सजा/05.05.07
2.	91/07	13 आर.पी.जी.ओ.	81/09.08.07	सजा/25.08.07
3.	83/08	13 आर.पी.जी.ओ.	77/28.04.08	सजा/09.09.08
4.	02/15	9 गोवंश अधिनियम 1995	07/29.01.15	पे.कोर्ट

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त 03 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 26.05.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना किशनगंज में वर्ष 2006 से 2015 के मध्य कुल 4 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एवं गोवंश अधिनियम 1995 एक्ट के तहत हुये दर्ज है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है, जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को थाना बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा गॉव यहॉ से 35 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मैं गॉव मे ही मेरी पत्नि के साथ मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे छोटे–छोटे 2 बच्चे है। मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना किशनगंज द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना केलवाडा किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। इसके विरूद्व पुलिस थाना किशनगंज में वर्ष 2006 से 2015 के मध्य कुल 4 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एवं गोवंश अधिनियम 1995 एक्ट के तहत हुये दर्ज है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री कल्लू उर्फ मुबारिक पुत्र मल्लूभाई जाति रंगरेज मुसलमान निवासी किशनगंज जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के 03 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री कल्लू उर्फ मुबारिक पुत्र मल्लूभाई जाति रंगरेज मुसलमान निवासी किशनगंज जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र किशनगंज से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल श्री कल्लू उर्फ मुबारिक पुत्र मल्लूभाई जाति रंगरेज मुसलमान निवासी किशनगंज जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना किशनगंज से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाडा जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 01.06.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाडा जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र किशनगंज से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाडा जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ